परियोजना संख्या: 43464-026

भाग-2

हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम

(एचपीसीईटीआईपी)

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एचपीपीटीसीएल)

हिन्दी अनुवाद का निरीक्षण किया गया
व संशोधन पाया गया

Executive Summary Tranch-2 (**कार्यकारी सारांश** ट्रांच–2)

एशियाई विकास **बैंक** (ए.डी.बी) द्वारा ट्रांच–2 की पुर्नव्यवस्था योजना का संक्षिप्त कार्यकारी विवरण

i हिमाचल प्रदेश सरकार (जी० ओ० एच० पी) द्वारा, भारत सरकार (जी० ओ० आई०) के माध्यम से एशियाई विकास **बैंक** (ए.डी.बी) को हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (एच. पी. सी. ई. टी. आई. पी.) के अंशत निधिबद्ध करने के लिए बहुभागीय वित्तीय प्रंबध सुविधा (एम०एफ०एफ०) उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना के लिए एच० पी० पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरशन लिमिटिड (एच०पी०पी०टी०सी०एल०) कार्यकारी एजेंसी (ई०ए०) तथा कार्यान्वयन एजेंसी (आई० ए०) है। इस परियोजना में ऋृण कार्यसाधक हो गया है और इसका भाग–1 कार्यान्वयन की स्थिति में है। भाग–2 के निवेश कार्यक्रम की उप–पारियजनाओं के लिए पुनर्व्यवस्था योजना, यथोचित प्रांरभिक उघमी कार्य के रूप में, तैयार की गई है। प्रकृति आधारित प्रत्याशित प्रभाव के परिमाप और महत्व के दृष्टिगत,निवेश कार्यक्रम भाग–2 को,ए०डी०बी० के सेफगार्ड पॉलिसी स्टेटमेंट (एस०पी०एस०),2009 के अनुसार, अनैच्छिक पुर्नव्यवस्था (आई० आर०) के नजरिये से बी श्रेणी में वर्गीकृत भाग–2 की ट्रांसमिशन लाईन रूटस टावर फुटिंग और सब–स्टेशन उप परियोजनाओं को उपलब्ध इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर निश्चित किया गया है। उप–परियाजनाओं का सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। ताकि कार्य प्रभाव प्रकृति,परिमाप और विस्तार को लेकर निशिचित हो सके। उपपरियोजनाओं के डिजाइन जल्द ही पूर्ण किए जॉएगे,जबकि कुछ उप परियोजनाओं के लिए यह पुर्नव्यवस्था योजना (आर.पी) अंतिम डिजाइन के अधार पर अद्यतन की जाएगी, यह कार्य कार्यान्वयन से पहले कर लिया जाएगा।

ii हिमाचल प्रदेश कलीन एनर्जी ट्रांसमिशन इनवेसमेट प्रोग्राम (एच. पी. सी. ई. टी. आई. पी.) की योजनाओं के भाग–2 के अंतर्गत 4 प्रस्तावित सब स्टेशन और 5 ट्रांसमिशन लाईन इस प्रकार हैं

घटक 1–2 भावानगर पी.आई.यू.(जिला **किन्नौर**) उप परियोजनॉए

उप–परियोजना एस –1–66 के०वी० गैस इन्सुलेटिड स्विचगियर (जी. आई. एस) स्विचिंग स्टेशन, ऊर्नी

उप परियोजना टी०1–66 के०वी० डबल सर्किट (डी/सी) ट्रांसमिशन लाईन, 66 के०वी०, जी०आई०एस० ऊर्नी स्विचिंग स्टेशन से वांगटु जी. आई. एस सब–स्टेशन (13.382 कि०मी०)

घटक ii लाहल पी०आई०यू० (जिला चंबा) उप–पारियोजनांए

उप–परियोजना एस 2–33/220 के०वी०,50/63एम०वी०ए० पूलिंग स्टेशन (पी०एस०),लाहल

उप–परियोजना टी2–220 के०वी०,सिंगल सर्किट (एस/सी) ट्रांसमिशन लाईन 33/220 के०वी० लाहल सब–स्टेशन से 220 के०वी० यार्ड एच०ई०पी० बुधहिल (1.895 कि० मी०)

घटक iii रोहडू पी०आई०यू० (जिला शिमला) उप–परियोजनांए

उप–परियोजना टी 3–220के०वी० डी/सी ट्रांसमिशन लाईन 220/132 के०वी०, जी. आई. एस सुंडा से 220 के०वी० स्विचिंग स्टेशन हार्टकोटी (25.12 कि०मी०)

उप–परियोजना एस 3–66/132/220 के०वी०, 2x100 एम०वी०ए० जी. आई. एस, पी एस, सुंडा

घटक **iv** शाड़ाबाई पी०आई०यू० (जिला कुल्लू व मंडी) उप–परियोजनाएँ

उप–परियोजना टी4–220 के०वी०,डी/सी, ट्रांसमिशन लाईन, छरोर से 400/220 के०वी०, बनाला सब–स्टेशन पी०जी०सी०आई०एल० (18.5 कि० मी०)

उप–परियोजना टी4–132/220के०वी०,2x50/63 एम०वी०ए०,जी०आई०एस० सब–स्टेशन छरोर

घटक **v** चंबी पी०आई०यू० (जिला कांगडा) उप–योजनांए

उप–परियोजना टी5–132 डी/सी ट्रांसमिशन लाईन चंबी (शाहपुर) सब–स्टेशन, (एस० आई० एल० ओ० पाइंट 132 के०वी० कांगडा–देहरा एस/सी ट्रांसमिशन लाईन (15.5कि0मी0)

iii उप–योजनाओं में मामूली अनैच्छिक पर्नुवास प्रभाव होगें। सब–स्टेशनों मे से जो 4 निजी भूमि पर प्रस्तावित है । प्रस्तावित 4 सब–स्टेशनों/पूलिगं स्टेशनों के लिए कुल 6-85-60 हेक्टेयर निजी भूमि का भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। इस भूमि के अधिग्रहण से कुल 272 परिवार प्रभावित हुए है। सभी प्रभावित परिवारों को निमार्ण कार्य शुरू करने से पहले मुआवजे की नकद राशि दी गई है। भाग–2 के कार्यान्वयन के दौरान किसी का भौतिक विस्थापन नहीं हुआ है। किसी को भी 10% या इससे अधिक उत्पादक या आजीविका साधनों से हाथ नही धोना पडा है। इसलिए भू–अधिग्रहरण से होने वाले प्रभाव कम और महत्वहीन माने गए है। दो महिला प्रमुख परिवार प्रभावित हुए है। ये कमजोर वर्ग मे आते है। इसलिए इन्हें हानि के अनुरूप अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त होगी। ट्रांसमिशन लाईन गलियारे के साथ रहने वाले लोगों को एक फसल और वृक्षों का जो (आर0 ओ0 डब्ल्यू0) मे होगा, का नुक्सान उठना पड़ेगा। अधिकांश टावर फुटिंगस सरकारी/वनभूमि पर बनेंगी। जहां ये टावर निजी भूमि पर लगाये जाएंगे; एच0पी0पी0टी0सी0एल0 द्वारा हकदारी मेट्रिक्सके अनुसार भूमि मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक टावर के लिए 225 वर्ग मीटर (220 के०वी० लाईनस) से अधिक भूमि की जरूरत नहीं रहेगी,अधिकतम 15x15 मीटर भूमि अपेक्षित होगी। प्रांरभिक निर्धारण के अनुसार लगभग 240 फलदार वृक्ष इन ट्रांसमिशन लाईनों से प्रभावित होंगे। फसलों के क्षेत्र वाले नुकसान का प्रांरभिक निर्धारण मोटे अनुमानतः 55.594 हैक्टेयर भूमि की फसलों को एक उत्पादक सीजन का नुक्सान होगा। प्रभावित लोगों को एक उत्पादक सीजन का नुक्सान होगा। प्रभावित लोगों से मशवरा करके, प्रभाव का आकलन किया गया है जो कि प्रकृति और परिमाण में महत्वहीन है।

IV फरवरी से सिंतबर 2012 की अवधि में मुआवजे के दावेदारों के साथ प्रांरभिक अग्रिम उपायों से जुड़े उघमी कार्यो के दौरान मशवरा किया गया। प्रभावित लोगो तथा स्थानीय समुदायों के साथ,अनिवार्य एहतियाती योजना प्रक्रिया के रूप में,भाग–2 की पुर्नव्यवस्था योजना (आर0पी0) प्राथमिक पर्यावरणीय परीक्षण (आई0ई0ई0) जैसे दस्तावेज तैयार करते हुए विचार–विमर्श किया गया।

दावेदारों को सूचित किया गया और परामर्श व सूचना सम्बंधी बातचीत पारियोजना के कार्यान्वयन के दौरान भी चलती रहेगी। परियोजना से प्रभावित समुदायों,दावेदारों सरकारी कार्मियों के साथ सार्वजानिक विचार विमर्श प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन/सब–स्टेशनों के आस पास के क्षेत्रो मे किया गया। हि0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड पुर्नव्यवस्था से सम्बंधित विश्वसनीय सूचनाएँ समयानुसार सुगम स्थान पर और सही रूप में तथा प्रभावित लोगों व दावेदारों के समझने योग्य भाषा (हिन्दीं–अग्रेजीं) मे उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रारूप और अंतिम पुर्नव्यवस्था योजना (आर0पी0) को (ए.डी.बी) और एच0पी0पी0टी0सी0एल0 की वेबसाइटस पर दर्शाया जाएगा।

V हि0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटिड द्वारा शिकायत निवारण तंत्र (जी0आर0एम0) बनाया गया है। जिसके अंर्तगत परियोजना से प्रभावित लोंगो के लिए शिकायत निवारण की उपयुक्त प्रक्रिया है। शिकायत निवारण तंत्र तत्काल प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं और शिकायतों को एक समझने योग्य और पारदर्शी प्रक्रिया को अमल में लाके किया जाएगा, जो कि लिंग उत्तरदायी, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है और किसी भी कीमत पर और प्रतिशोध के बिना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आसानी से सुलभ है। शिकायत निवारण समिति (जी0आर0सी0) महाप्रबंधक (परियोजना) की अध्यक्षता में है। इसमें परियोजना कार्यान्वयन इकाई के स्तर पर वरिष्ट प्रबंधक और उपप्रबंधक शमिल है। छोटे परिवाद पी0आई0यू0 के स्तर पर उठाये तथा हल किए जाऐगें। जो शिकायत पी0आई0यू0 स्टाफ (क्षेत्रीय) द्वारा हल नही किए जाऐगें वे पी0एम0यू0 के स्तर पर शिकायत निवारण समिति (जी0आर0सी0) के समक्ष लाए जाऐगें। शिकायत निवारण समिति की बैठक हर महीने होगी और शिकायत आने पर प्रत्येक परिवाद की उपयुक्तता देखकर शिकायत मिलने के एक महीने के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। प्रभावित लोगों का यह अधिकार रहेगा कि वे इसके साथ ही अन्य उचित मंच या न्यायालय में जा सकेंगे।

VI इस कार्यक्रम का नीतिगत गठन और वैधानिक अधिकार निम्नलिखित राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित है। भू–अधिग्रहण अधिनियम 1894 (एल0ए0ए0,1984 में संशोधित) निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता पर; राष्ट्रीय पुर्नवास एंव पुर्नव्यवस्था नीति 2007 (एन0आर0आर0पी0); और एशियन डिवेलप्मेंट बैंक का सुरक्षा नीति वक्तव्य 2009। पुर्नव्यवस्था प्रक्रिया में भी हि0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटिड की निम्नलिखित नीतियॉ भी मान्य है

(i) पर्यावरण एंव सामाजिक सुरक्षा नीति, मई 2011(ई0एस0एस0पी0) और

(ii) पुर्नव्यवस्था राहत,पुर्नवास एंव मुआवजा नीति,मई 2011 (आर0आर0आर0सी0पी0)

परिसम्पत्ति का मुआवजा विनिमय मूल्य के आधार पर प्रदान किया जाएगा। आय और आजीविका की क्षतिवाले सवाामित्वधारी तथा गैर सवाामित्वधारी, दोनों को पुर्नव्यवस्था सहायता प्रदान की जाएगी। कमजोर समूहों की पुर्नव्यवस्था और पुर्नवास के लिए विशेष उपाय किए जाऐगें। पारियोजना के अंतर्गत मुआवजे या कम से कम पुर्नवास अभिपूर्ति के भागीदार प्रभावित लोग इस प्रकार है।

(i) वे प्रभावित लोग जिन्होनें कानूनी विधान की भूमि खो दी है।

(ii) भवनों, पेड पौधो और अन्य भूमि से सम्बधित वस्तुओं के मालिक

(iii) पर्जीकृत/अपर्जीकृत किरायेदार और फसलों, के मालिक; और

(iv) व्यापार, आय तथा वेतन की हानि उठाने वाले लोग मुआवजा पाने का अधिकार उप–परियोजना के लिए तय की गई सीमांत तिथि के अनुसार सीमित होगा।

VII इस परियोजना के लिए हि0प्र0पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड कार्यकारी एजेंसी (ई0 ए0) तथा कार्यान्वयन एजेंसी (आई0ए0) है। संगठन के स्तर पर परियोजना प्रंबधन ईकाई (पी0एम0यू0) प्रंबध निदेशक की प्रमुखता में है। उनकी सहायता के लिए विभिन्न कार्यो से सम्बंधित उप महाप्रबंधक (डी0जी0एम0) रहेंगे जैसे की–प्रशासन और वित्त,परियोजनाओं की योजना और डिजाइन,प्राप्त और अनुंबध,पर्यावरण एंव सामाजिक अनुभाग तथा परियोजना निर्माण के मंडल सतर पर परियोंजना कार्यात्वयन ईकाइयॉ, वरिष्ठ प्रबंधक की प्रमुखता में इन पांच स्थानों पर है। रोहडू, कांगडा, चंबा, भावानगर, तथा शाड़ाबाई। पर्यावरण और सामाजिक अनुभाग (ई0 एस0 सी0),संगठन के स्तर पर एच0पी0पी0टी0सी0एल0 द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं की सुरक्षात्मक प्रभाव सम्बंधी नीति एंव कार्यान्वयन की निगरानी करता है। पर्यावरण और सामाजिक अनुभाग (ई0 एस0सी0) के पर्यावरण तथा पुर्नव्यवस्था एंव पुर्नवास आधिकारी, एच0पी0पी0टी0सी0एल0 की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीति,मई 2011 के अनुपालन में उप–परियोंजनओं के सभी सुरक्षात्मक पहलुओं के संदर्भ में पी0आई0यू0 का सहयोग करते हैं। पर्यावरण और सामाजिक अनुभाग, ए0डी0बी0 द्वारा निधिबद्व उप–परियोंजनओं में पर्यावरण प्रंबध योजना और पुर्नव्यवस्था योजना के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। ए0डी0बी0 के सुरक्षा नीति वक्तवय (एस0पी0एस0) 2009 के अनुसार पी0एम0यू0 और ई0एस0सी0 द्वारा, ए0डी0बी0 से निधिबद्व प्रत्येक उपयोजना के सुरक्षा उपायों की नियमित निगरानी, परियोजना अनुबंध के अनुपालन में सुनिश्चित करनी होती है।

VIII भाग–2 उप–परियोजना के पुर्नव्यवस्था लागत व्यय अनुमान में, देय मुआवजा, पुर्नव्यवस्था सहायता और पुर्नव्यवस्था योजना (आर0 पी0) कार्यान्वयन तथा निगरानी का समर्थन मूल्य शामिल है। ये पारियोजना की समग्र लागत के भाग है। भाग–2 की उप–परियोजनों के लिए भू–अधिग्रहण और पुर्नव्यवस्था की कुल लागत रुपये 422 मिलियन आंकी गई है। लागत व्यय अनुमान अंवरिम है इसे विस्तृत डिजाइन और मूल्यांकन के आधार पर अद्यतन किया जाएगा। प्रत्येक उप–परियोजना से सम्बांधित समस्त भू–अधिग्रहण पुर्नव्यवस्था और मुआवजा संम्बधी काम,सिविल कार्य के ठेके देने से पूर्व पूरा हो गया है । सिविल कार्यों की शुरुआत से पहले सभी आवश्यक भूमि ठेकेदार को समेकित मुहैया कराई जाएगी। सार्वजानिक विमर्श, सूचनाओं का प्रकटीकरण तथा कार्यान्वयन और कार्य निष्पादन की निगरानी परियोजना कार्य की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार सब जारी रहेगी।

IX पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी परियोजना प्रबधंन इकाई (पी0एम0यू0)/ परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) और पर्यावरण और सामाजिक अनुभाग के माध्यम से एच0पी0पी0टी0सी0एल0की रहेगी। यह कॉर्पोरेशन अद्धवार्षिक निगरानी रिपोर्टस, ए0डी0बी0 को समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा। निगरानी की सीमा और दायरा परियोजना के जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप होगी। ए0डी0बी0 को एच0पी0पी0टी0सी0एल0 से अपेक्षा रहेगी कि यह कॉर्पोरेशन ऐसी प्रक्रियांए स्थापित करके जारी रखे,जिनके माध्यम से सुरक्षा उपाय योजना के कार्यान्वयन की पड़ताल हो;दस्तावेजो और सार्वजनिक जांच–पड़ताल के परिणाम सामने आऍ; सर्वाधिक

निगरानी रिपोर्टस में सुधारात्मक और निवारक जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित हो; और इन कार्यवाहियों पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित हो ताकि अधिकार समाप्त धनराशि और लाभों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति सुनिश्चित हो सके। पुर्नव्यवस्था कार्यान्वयन गतिविधियों की जांच-पड़ताल की प्रलेख प्रगाति, पुर्नव्यवस्था योजना से सम्बद्ध समापन रिपोर्टस सहित, एच0पी0पी0टी0सी0एल0 द्वारा इसके पी0एम0यू0 के माध्यम से ए0डी0बी0 को अद्धवार्षिक आधार पर समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

हकदारी मेट्रिक्स

सभी प्रभावित लोगों (ए0पी0) को विनिमय मूल्य के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। आय तथा आजीविका साधन खोने पर, पुर्नव्यवस्था सहायता, स्वामितवधारी और गैर- स्वामित्वधारी, दोनों को प्रदान की जाएगी। प्रभावित लोगों के अतिसंवेदनशील समूहों की पुर्नव्यवस्था और पुर्नवास के लिए विशेष उपाय किए जाऐगें। इनमें गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले (बी0पी0एल0) अनुसूचित जनजातीय (एस0टी0) महिला प्रमुख परिवार (डबल्यू0एच0एच0),अपंग (पी0एच0) परिवार तथा अत्याधिक प्रभावित परिवार (10% से अधिक उत्पादक सम्पति खोने वाले) शमिल होंगे। हकदारी मेट्रिक्स (तालिका-1) तैयार किया गया है। जिसमें पारियोजना के परिणाम स्वरूप होने वाले विभिन्न प्रकार के नुक्सान के स्वीकार और सूचीकरण के साथ उनके एवज मे निश्चित मुआवजा तथा पुर्नव्यवस्था पैकेज दर्शाये गए है।

तालिका 1: हकदार देयता मेट्रिक्स

छति की किस्म	ए0 पी0 की परिभाषा	हकदारी देयता	विवरण
कृषि भूमि का नुकसान	• स्वामित्वधारी मालिक प्रभावित व्यक्ति • (ए0पी0) पांरपरिक भूमि अधिकार सहित	• मुआवजा मार्किट/विनिमय मूल्य पर आधारित • पुनर्व्यवस्था सहायता • असुरक्षित प्रभावित लोगों अतिरिक्त सहायता	• अनिवार्य भू–अधिग्रहण के मामले मे मुआवजा भू–अधिग्रहण अधिनियम के आधार पर होगा (30% मुआवजा और 12% ब्याज मिलाकर) • यदि प्रभावित लोगों की पारस्परिक और स्वैच्छिक सहमति के साथ परियोजना की जमीन का कब्जा किया जाता हैं तो मुआवजे का भुगतान मोलभाव वाले मूल्य पर किया जाएगा । • यदि सालाना लीज मनी का भुगतान करके भूमि अधिग्रहण की जा रही है तो शीर्षकधारक को परियोजना के जीवन (जो कि 30 वर्ष है) के लिए भूमि अधिग्रहण लेखकों द्वारा तय किए गए वार्षिक मुआवजे मिलेगा। एक बार किया गया फैसला मुआवजा लीज समझौते के संचालन के दौरान संशोधित नहीं किया जाएगा । • कारवाई का व्यय (दस्तावेजी स्टांपस रजिस्ट्री खर्च इत्यादि रजिस्ट्रेशन के दौरान पारियोजना प्राधिकारी द्वारी वहन किया जाएगा। • यदि बचि हुई भूमि कार्य योग्य नहीं है तो प्रभावित व्यक्ति सीमांत किसान हो जाता है। तो पुर्नव्यवस्था सहायता,तीन महीने के न्यूनतम वेतन पर आधारित,परिवर्ती भतों के रूप में दी जाएगी। • कमजोर समूहों के प्रभावित लोगों को अतिरिक्त

			भते तीन महीने के न्यूनतम वेतन पर आधारित दिये जाएँगें।
	वैयक्तिक काश्तकार बटाईदार पट्टेदार	पट्टे की प्रतिपूर्ति	पट्टे की दरें परियोजना प्राधिकारी द्वारा भू–स्वामियों से विचार विमर्श के आधार पर राजस्व विभाग के सहयोग से निर्धारित की जाएँगी।
आवासीय और भूमि की क्षति	स्वामित्वधारी पांरपरिक/रिवायती भू–अधिकार वाले ए0 पी0	विनिमय मूल्य आधारित मुआवजा असुरक्षित प्रभावित लोगों को अतिरिकत सहायता	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विनिमय मूल्य का नकद मुआवजा सभी शुल्क,स्टांप शुल्क कर तथा अन्य व्यय जो पुनःस्थापना और पुनर्वास की प्रक्रिया में,संबद्ध कानूनों के तहत उपयुक्त हो उनका वहन ई0 ए0 द्वारा किया जाएगा। असुरक्षित प्रभावित लोंगो को अतिरिक्त भते तीन महीनें के न्यूनतम वेतन के आधार पर अदा किए जॉएगे।
वनभूमि के अधिकार की क्षति	वनभूमि के अधिकारों से प्रभावित परिवार	वैकल्पिक सुविधाओं और तकनीकी सहायता का प्रावधान	ऐसे परिवार जिन्हें,वन भूमि से पूरी होने वाली,इंधन चारे आदि की मूलभूत जरूरतों की हानि उठानी पड़ी हो, उन्हें वैकल्पिक वनभूमि में ये सुविधा प्रदान की जाएगी। समुदायों को वन विभाग द्वारा संचालित सामुदायिक सामाजिक वन योजना में शामिल किया जाएगा।

2 महिला प्रमुख परिवार,अनुसूचित जनजातिय परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार अंपग या अशक्त व्यक्ति प्रमुख पारिवार और अत्याधिक प्रभावित परिवार

छति की किस्म	ए0 पी0 की परिभाषा	हकदारी देयता	विवरण
2 संरचनाएँ			
आवासीय और वाणिजय संरचना की क्षति	स्वामित्वधारी रिवायती भू-अधिकार के तहत संरचना वाले ए0 पी0	प्रतिस्थापना मूल्य आधारित मुआवजा हटाने हेतु सहायता	संरचना तथा अन्य सम्पति का प्रतिस्थापना मूल्य (या संरचना व अन्य सम्पति के भाग; यदि शेष बचा हुआ उपयोगी हो। संरचना प्रतिस्थापना से सम्बधित शुल्क कर तथा अन्य खर्च हटाने हेतु सहायता; प्रत्येक परिवार को रू 10,000/- से कम नहीं संरचना और अन्य सम्पति से बची सामग्री का अधिकार बरकार;इसके एवज में प्रतिस्थापना मूल्य से कोई कटौती नहीं की जाएगी। असुरक्षित प्रभावित लोगों (ए0पी0) को तीन महीने के न्यूनतम वेतन के आधार पर अतिरिक्त भते देय होंगे।
किरायेदारी के आवास की क्षति	किरायेदार	ए) किराये की सहायता बी) प्रस्थापना मूल्य का मुआवजा सी) हटाने की सहायता	आवासीय और वाणिजय दोंनो तरह किरायेदारी हेतु प्रचलित दर पर सहायता के रूप में आधिकतम तीन महीनों का किराया पूरा करने के लिए सहायता किरायेदारों द्वारा निर्मित अतिरिक्त संरचनाओं का मुआवजा भी किया जाएगा और मालिक की मुआवजा राशि से काट लिया जाएगा। स्थानांतरण की सहायता आवास के प्रकार और परिवार की सम्पति के आधार पर दी जाएगी। किरायेदारों द्वारा जमा की गई कोई आग्रिम राशि दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर मालिक के कुल मुआवजा पैकेज में से उन्हें लौटायी जाएगी। संरचना को देने से बची हुई सामग्री और किरायेदारों द्वारा निर्मित अग्रभाग आदि का अधिकार रहेगा।

छति की किस्म	ए0 पी0 की परिभाषा	हकदारी देयता	विवरण
3 वृक्ष और फसलें			
वृक्षों की क्षति	भू–स्वामी बटाईदार पट्टेदार	मार्किट मूल्य के आधार पर बागवानी विभाग की सहायता से परिकलित मुआवजा	प्रभावित व्यक्ति (ए0पी0) को फल निकालने तथा पेड़ों को हटाने हेतु आग्रिम उत्पादक वर्षो हेतु फलों के औसत उत्पादन के आधार पर बाजार के मूल्य देखकर परिकलित करके मुआवजा इमारती लकड़ी वाले वृक्षों के प्रकार को देखकर बाजार मुल्य के आधार पर मुआवजा
फसलों की क्षति	भू–स्वामी बटाईदार पट्टेदार	मार्किट मूल्य के आधार पर बागवानी विभाग की सहायता से परिकलित मुआवजा	प्रभावित व्यक्ति (ए0पी0) को फसल काटने हेतु आग्रिम नोटिस खड़ी फसलों के मामले में तैयार फसलों औसत उत्पादन का अघमन मार्किट मूल्य जोड़कर नकद मुआवजा।
4 आय का आजीविका			
आय का आजीविका की क्षति (व्यवसाय वेतन आय,कृषि आय,कर्मचारी)	वैघानिक स्वामित्व/किरायेदार/ पट्टेदार गैर–स्वामित्व संरचना कर्मचारी/कृषि मजदूर	सहायता	आय की क्षति के लिए तीन महीने की न्यूनतम आय दरों पर आधारित सहायता। परियोजना में नौकरी के लिए विचार जहाँ संभव हो। असुरक्षित प्रभावित लोंगो को तीन महीने के न्यूनतम वेतन के आधार पर अतिरिक्त भते देय होंगे।
5 सरकारी भूमि और सम्पति			
सरकारी सम्पति भूमि की क्षति	सम्बंधित विभाग	सरकारी नियमों के आधार पर एकमुश्त मुआवजा	विभागीय भु–स्थानांतरण
6 समुदाय और सांकृतिक स्थल			
धार्मिक संरचनाएँ, भूमि,सामुदायिक संरचनांए ट्रस्ट आदि	प्रभावित समुदाय	संरक्षण,बचाव और प्रतिपूरक प्रस्थापन (स्कूल,सामुदायिक केंद्र,मार्किट स्वास्थ्य केंद्र,तीर्थ,अन्य धार्मिक स्थल,पूजा स्थल,दफन स्थल; भोजन,दवा और प्राकृतिक	प्रभावों का प्रलेखन और शमन। सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण विशेष उपायों से किया जाएगा;यथा समुदाय को सलाह से पुन;स्थापन।

		संसाधन आदिकतम)	
7 अस्थायी क्षति			
भूमि की अस्थायी क्षति और निर्माण कार्य के दौरान फसल के नुक्सान की अस्थायी क्षति	सभी ए०पी० लाइनों के निमार्ण समय भूमि तथा फसलों की अस्थायी हानि वाले कृषि परिवार,बटाईदार, किरायेदार, गैर स्वामित्व परिवार	मार्किट मूल्य पर आधारित एक सीजन का मुआवजा वापसी/पुनरूद्धार	° वैधानिक स्वामित्वधारियों के लिए अधिकृत अवधि हेतु किराये का प्रावधान। ° क्षतिग्रस्त सम्पति का मुआवजा विनिमय मूल्य के आधार पर। ° भूमि का पुनरूद्धार,पहले जैसे या बेहतर दर्जे तक ° फसलों के अस्थायी नुक्सान के लिए,आर०ओ०डब्लु० के अंतर्गत,निमार्ण के बाद मुरम्मत और रख–रखाव के दौरान हुई क्षति हेतु नकद मुआवजा अतिरिक्त दिया जाएगा। भविष्य में ट्रांसमिशन लाइनों की मुरम्मत और रख–रखाव के लिए जरूरत पड़ने पर परियोजना प्रधिकारी,भूमि मालिकों से परामर्श करके भूमि में ये काम करवा सकते है और भूमि मालिक अपने कृषि सम्बधीं कार्यो के लिए भूमि का उपयोग जारी रख सकते हैं।
8 **कमजोर** परिवार			
असुरक्षित प्रभावित लोगों (ए०पी०) पर प्रभाव	समग्र प्रभाव	असुरक्षित प्रभावित लोग (ए०पी०)	° तीन महीने के न्यूनतम वेतन के आधार पर अतिरिक्त सहायता। ° असुरक्षित परिवारों को परियोजना निमार्ण में यथा संभव नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
9 अप्रत्याशित प्रभाव			
अन्य प्रभाव अभिज्ञात नहीं	प्रभावित परिवार और व्यक्ति	मुआवजा और सहायता	अप्रत्याशित प्रभाव पुनर्व्यवस्था के सैद्धांतिक आधार की सहमति के अनुसार दर्ज और कम कर दिये जाऍगें।
10 एच0पी0पी0टी0सी0एल0 द्वारा परियोजना क्षेत्र हेतु अतिरिक्त लाभ			
अतिरिक्त लाभ केवल उन परियोजना के लिए जो रू 50 करोड़	केवल उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त जो 50 करोड से अधिक की	विभिन्न योजनांए	निम्नलिखित अतिरिक्त योजनांए परियोजनाओं में,रू 50करोड या अधिक परियोजना लागत के साथ शुरू की जाएंगी

और अधिक की हैं ।	लागत की हों।		◦ मेरिट एंड स्पोर्ट स्लारशिप स्कीम ◦ मडिकल फंड ◦ ट्रेनिंग कम एवेयरनैस कैंप ◦ प्रोवीजन ऑफ सेल्फ एम्पलायमेंट ◦ एवार्ड ऑफ पैटी कांन्ट्रक्टास